



क्र. 2500 / प्रशा. / स्था. / 2018,

बिलासपुर, दिनांक 31-08-18

अधिसूचना

विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जहां विभिन्न विभागों में 7000 से अधिक छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी व्यक्तियों का बिना किसी उचित कारण के प्रवेश प्रतिबंधित है। अतः केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, द्वितीय अनुसूची के परिनियम क्रमांक 3 (4) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभारी अधिकारी, विश्वविद्यालय सुरक्षा, प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था एवं समस्त विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि छात्र/छात्राओं को पहचान पत्र (विश्वविद्यालय पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि) के आधार पर ही कक्षाओं में प्रवेश प्रदान करें एवं सुनिश्चित करें कि किसी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश न हो।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक 31-08-18

पृ.क्रं. 2501 / प्रशा. / स्था. / 2018,
प्रतिलिपि-

1. कुलपति महोदया/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर माननीया कुलपति महोदया/कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्षों/विभागीय अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण/कुलानुशासक/ मुख्य अधीक्षक छात्रावास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं प्रभारी सुरक्षा व्यवस्था की ओर सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय के समस्त प्रवेश द्वारों पर इस अधिसूचना के पालन की आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी, आई.टी.सेल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. कार्यालय प्रति।

Mivari
सहायक कुलसचिव (प्रशासन)